



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235201
CG-DL-E-19042022-235201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1759]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1759]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1849(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना-अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि०मी० 432.3 से कि.मी.475.7 (कठुआ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त कठुआ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई

हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि०मी० 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: कठुआ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हीरानगर					
गांव का नाम: लैंगरियाल					
1	209	निजी	कृषि	0.0328290(हेक्टेयर)	0.0328290
2	210	निजी	कृषि	0.0253090(हेक्टेयर)	0.0253090
3	211	निजी	कृषि	0.0252690(हेक्टेयर)	0.0252690
4	212	निजी	कृषि	0.0531290(हेक्टेयर)	0.0531290
5	213	निजी	कृषि	0.1138290(हेक्टेयर)	0.1138290
6	214	निजी	कृषि	0.1366080(हेक्टेयर)	0.1366080
7	219	निजी	कृषि	0.0253290(हेक्टेयर)	0.0253290
8	220	निजी	गैर कृषि	0.0202290(हेक्टेयर)	0.0202290
9	276	निजी	कृषि	0.0430290(हेक्टेयर)	0.0430290
10	277	निजी	कृषि	0.0632290(हेक्टेयर)	0.0632290
11	278	निजी	कृषि	0.0430290(हेक्टेयर)	0.0430290
12	279	निजी	कृषि	0.0202290(हेक्टेयर)	0.0202290
13	280	निजी	कृषि	0.0253290(हेक्टेयर)	0.0253290
14	281	निजी	कृषि	0.0430290(हेक्टेयर)	0.0430290
15	283	निजी	कृषि	0.0506290(हेक्टेयर)	0.0506290

16	284	निजी	कृषि	0.0531290(हेक्टेयर)	0.0531290
17	285	निजी	कृषि	0.0076290(हेक्टेयर)	0.0076290
18	289	सरकारी	कृषि	0.0531290(हेक्टेयर)	0.0531290
गांव का नाम: पट्टा रसाना					
1	264	निजी	गैर कृषि	0.1517290(हेक्टेयर)	0.1517290
2	386	निजी	कृषि	0.0746290(हेक्टेयर)	0.0746290
3	391	निजी	कृषि	0.0202290(हेक्टेयर)	0.0202290
4	393	निजी	गैर कृषि	0.0250290(हेक्टेयर)	0.0250290
5	396	निजी	कृषि	0.0126290(हेक्टेयर)	0.0126290
6	412	निजी	गैर कृषि	0.0137290(हेक्टेयर)	0.0137290
7	416	निजी	कृषि	0.0076290(हेक्टेयर)	0.0076290
8	417	निजी	कृषि	0.0067290(हेक्टेयर)	0.0067290
9	418	निजी	कृषि	0.2675290(हेक्टेयर)	0.2675290
10	419	निजी	कृषि	0.0109290(हेक्टेयर)	0.0109290
11	420	निजी	कृषि	0.0056290(हेक्टेयर)	0.0056290
तालुक का नाम: कठुआ					
गांव का नाम: रेड					
1	22	निजी	कृषि	0.0233290(हेक्टेयर)	0.0233290
2	25	अन्य(निजी/ सरकारी)	गैर कृषि	0.0283290(हेक्टेयर)	0.0283290
3	57	निजी	कृषि	0.0404290(हेक्टेयर)	0.0404290
4	58	निजी	कृषि	0.0328290(हेक्टेयर)	0.0328290
5	59	सरकारी	गैर कृषि	0.0151290(हेक्टेयर)	0.0151290
6	95/19	निजी	कृषि	1.0735290(हेक्टेयर)	1.0735290
कुल				2.6449	2.6449

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1849(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Kathua in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: KATHUA		
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hiranagar					
Village: Langrial					
1	209	Private	Agriculture	0.0328290(Hectare)	0.0328290
2	210	Private	Agriculture	0.0253090(Hectare)	0.0253090
3	211	Private	Agriculture	0.0252690(Hectare)	0.0252690
4	212	Private	Agriculture	0.0531290(Hectare)	0.0531290
5	213	Private	Agriculture	0.1138290(Hectare)	0.1138290
6	214	Private	Agriculture	0.1366080(Hectare)	0.1366080
7	219	Private	Agriculture	0.0253290(Hectare)	0.0253290
8	220	Private	Non Agriculture	0.0202290(Hectare)	0.0202290
9	276	Private	Agriculture	0.0430290(Hectare)	0.0430290
10	277	Private	Agriculture	0.0632290(Hectare)	0.0632290
11	278	Private	Agriculture	0.0430290(Hectare)	0.0430290
12	279	Private	Agriculture	0.0202290(Hectare)	0.0202290
13	280	Private	Agriculture	0.0253290(Hectare)	0.0253290
14	281	Private	Agriculture	0.0430290(Hectare)	0.0430290
15	283	Private	Agriculture	0.0506290(Hectare)	0.0506290

16	284	Private	Agriculture	0.0531290(Hectare)	0.0531290
17	285	Private	Agriculture	0.0076290(Hectare)	0.0076290
18	289	Government	Agriculture	0.0531290(Hectare)	0.0531290
Village: Patta Rasana					
1	264	Private	Non-Agriculture	0.1517290(Hectare)	0.1517290
2	386	Private	Agriculture	0.0746290(Hectare)	0.0746290
3	391	Private	Agriculture	0.0202290(Hectare)	0.0202290
4	393	Private	Non Agriculture	0.0250290(Hectare)	0.0250290
5	396	Private	Agriculture	0.0126290(Hectare)	0.0126290
6	412	Private	Non Agriculture	0.0137290(Hectare)	0.0137290
7	416	Private	Agriculture	0.0076290(Hectare)	0.0076290
8	417	Private	Agriculture	0.0067290(Hectare)	0.0067290
9	418	Private	Agriculture	0.2675290(Hectare)	0.2675290
10	419	Private	Agriculture	0.0109290(Hectare)	0.0109290
11	420	Private	Agriculture	0.0056290(Hectare)	0.0056290
Taluk: Kathua					
Village: Raid					
1	22	Private	Agriculture	0.0233290(Hectare)	0.0233290
2	25	Common(Private/ Government)	Non Agriculture	0.0283290(Hectare)	0.0283290
3	57	Private	Agriculture	0.0404290(Hectare)	0.0404290
4	58	Private	Agriculture	0.0328290(Hectare)	0.0328290
5	59	Government	Non Agriculture	0.0151290(Hectare)	0.0151290
6	95/19	Private	Agriculture	1.0735290(Hectare)	1.0735290
Total				2.6449	2.6449

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director